राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(30)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री दिनेश कुमार राजपुरोहित, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर /1536/03) को जिला एवं सेशन न्यायालय, सिरोही में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सिरोही के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/– प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री लक्ष्मण सिंह बाला, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सिरोही को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ई०
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2- विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3- विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5- महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6- अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8- जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सिरोही।
9- जिला कलक्टर, सिरोही।
10-कोषाधिकारी, सिरोही।
11-संबंधित अभियोजक।
12-अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13-समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
14-लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
15-प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16-रक्षित पत्रावली।

9/7
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(30)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री हसीब अहमद सिद्दीकी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर /473/01) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं0 2 आबूरोड़, जिला सिरोही में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, आबूरोड़, जिला सिरोही के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/– प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार राजपुरोहित, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, आबूरोड़ जिला सिरोही को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सिरोही।
9. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं02, आबूरोड़, जिला सिरोही।
10. जिला कलक्टर, सिरोही।
11. कोषाधिकारी, सिरोही।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

9/7

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(30)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री प्रकाश कुमार, अधिवक्ता, एनरोलमेन्ट नं0 आर/1297/06 को विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/– प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2- विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3- विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5- महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6- अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8- जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सिरोही।
9- विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही।
10- जिला कलक्टर, सिरोही।
11- कोषाधिकारी, सिरोही।
12- संबंधित अभियोजक।
13- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14- समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15- लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16- प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17- रक्षित पत्रावली।

9/7

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(30)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेश कुमार, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/1576/06) को विशिष्ठ न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण), सिरोही में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ठ लोक अभियोजक (अजा/अजजा,अ.नि.प्र.), सिरोही के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/– प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री बसंत कुमार भाटी, विशिष्ठ लोक अभियोजक (अजा/अजजा), सिरोही को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1- प्रमुख शासन सचिव, विधि, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2- विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3- विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
5- महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6- अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8- जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सिरोही।
9- विशिष्ठ न्यायाधीश(अजा/अजजा), सिरोही।
10- जिला कलक्टर, सिरोही।
11- कोषाधिकारी, सिरोही।
12- संबंधित अभियोजक।
13- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणलाय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14- समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15- लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16- प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17- रक्षित पत्रावली।

9/7

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि